आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
2/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 114/11** **तुलसी राय बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 1028/आपूर्त्ति दिनांक 19.11.11 के विरुद्ध दायर किया गया है। यह माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल वाद सं0- 22679/13 से संबंधित है। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा गठित पंचायतवार जॉच दल के द्वारा दिनाक 25.10.11 को विकेता की दुकान की जॉच पंचायतवार गठित जॉच दल के द्वारा की गयी एवं जॉच के कम में दुकान बंद पायी गयी। अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 902/आ0 दिनांक 11.11.11 के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा तत्काल प्रभाव से उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी। अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि बिहार राज्य खाद्य निगम के कार्यालय छपरा में भंडार निर्गमादेश लाने हेतु विकेता छपरा गए हुए थे। उनके द्वारा नेफ्ट के माध्यम से जो राशि भेजी गयी थी, वह बैंक स्टेटमेंट से ज्ञात नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वे अपने आवेदन को शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक, दरियापुर से सत्यापित कराकर छपरा ले गए थे। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा अपने एक अन्य आदेश में यह निर्देश दिया गया है कि जन वितरण प्रणाली की दुकान को यदि जॉच के समय बंद पाया जाता है, तो मात्र इस एक अनियमितता को आधार बनाकर उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर देने जैसी गंभीर कार्रवाई किया जाना विधि–सम्मत् नहीं है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के	

द्वारा विक्रेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश एक speaking order नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब एवं कागजात का सम्यक परिसीलन किए बिना अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया गया है। यह उचित होता कि विक्रेता को उनके दुकान से संबंधित पंजी एवं अन्य कागजात के साथ बुलाकर उनकी सुनवाई की जाती और यदि उनके कागजातों के संधारण में कोई अनियमितता पायी जाती, तो आवश्यक कार्रवाई की जाती, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया है, जो उचित नहीं है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 1035 दिनांक 17/12/14

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर / जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
17/12/14